न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 06/2022

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री दिलीप कुमार मीना, पटवारी चेतरोडी, तहसील गडरारोड़, जिला बाडमेर		जिला कलेक्टर बाडमेर

अपील अन्तर्गत नियम, 23 राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर बाडमेर कमांकः भू.अ./वि.जां./2020/5074 दिनांक 24.11.2020 द्वारा प्रार्थी की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित करने बाबत।

निर्णय

दिनांक 17.08.2022

1. यह अपील श्री दिलीप कुमार मीना, पटवारी चेतरोडी, तहसील गडरारोड़ जिला बाडमेर ने जिला कलेक्टर बाडमेर के आदेश कमांकः भू.अ./वि.जां./2020/5074 दिनांक 24.11.2020 के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट तहसील गडरारोड़ के हल्का चेतरोडी में कार्यरत रहते ग्राम लाम्बडा के खसरा नम्बर 800 रकबा 816.13 बीघा किस्म गै.मु. गोचर भूमि में दिनांक 15.07.2020 को अतिकमियों को बेदखल करने की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार गडरारोड को खसरा नम्बर 805 गै.मु. गोचर भूमि पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किए गये अतिकमणों के बारे में अवगत नही कराने व इसे नजर अंदाज करते हुए भेदभावपूर्ण तरीका अपनाने से, विद्वान जिला कलेक्टर बाडमेर ने अपीलाण्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2020 के द्वारा अपीलाण्ट की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।
3. जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच कार्यवाही संस्थित कर ज्ञापन कमांकः भू.अ./वि.जां./2020/5074 दिनांक

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

24.11.2020 के द्वारा आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किया गया। आरोपित आरोप का विवरण निम्नानुसार है :–

आरोप संख्या 1–

यह कि आप श्री दिलीप कुमार मीना, के दिनांक 05.05.2020 से पटवारी चेतरोडी के पद पर कार्यरत रहने के दौरान ग्राम लाम्बडा, पटवार मण्डल चेतरोडी, तहसील गडरारोड़ के खसरा नम्बर 800 रकबा 816.13 बीघा किस्म गै0मु0 गोचर भूमि में दिनांक 02.06.2020 को अतिक्रमण के प्रस्ताव तैयार कर पेश किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 15.07.2020 को अतिक्रमियों को मौके पर बेदखल करने की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार गडरारोड को शेष अतिक्रमियों के बारे में अवगत नही करवाया। जबकि इसी राजस्व ग्राम के खसरा नम्बर 805 में किये गये अतिक्रमियों के विरूद्ध अतिक्रमण चिन्हित कर साथ–साथ प्रकरण तैयार किये जाने थे। इस प्रकार आप द्वारा गैर मुमकिन गोचर भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में आरएलआर एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत भेदभावपूर्ण तरीके से रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत किया जाना पाया गया, जो कि अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः आपका उक्त कृत्य लोकसेवक के कर्त्तव्यों के विरूद्ध है। जैसा कि विस्तृत आरोप विवरण पत्र में अंकित है।

4. अपीलाण्ट को उक्त उल्लेखित ज्ञापन व आरोप पत्र दिनांक 07.10.2020 को मार्फत तहसीलदार गडरारोड, बाद तामिल प्रस्तुत हुआ। तत्पश्चात जिला कलेक्टर बाडमेर के पत्रांकः प.14( )( )भू.अ./वि.जां./2020/4324 दिनांक 15.10.2020 के द्वारा तहसीलदार गडरारोड को आरोपी कार्मिक से जवाब प्राप्त कर तत्काल भिजवाने तथा अगर उनके द्वारा कोई जवाब नही दिया जा रहा तो सूचित कराने हेतु लिखा गया। आरोपी कार्मिक द्वारा बाद तामिल आरोप पत्र का लिखित अभिकथन पेश नही किया गया।

5. दौरान सुनवाई अपीलाण्ट ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि उसने दिनांक 05.05.2020 को पटवार हल्का चेतरोडी का प्रभार ग्रहण किया गया था। इस दौरान तहसीलदार गडरारोड से ग्रामीणों की शिकायत प्राप्त होने पर उसके द्वारा ग्राम लाम्बडा के ख0नं0 800 गै.मु. गोचर में अतिक्रमण की जांच कर राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण तैयार कर तहसील कार्यालय में दिनांक 08.06.2020 को पेश कर दिये थे, जिसमें आगे की कार्यवाही तहसील स्तर पर की गई, मेरी भूमिका सिर्फ रेकर्ड तक ही रही। ख0नं0 805 में किए गये अतिक्रमणों की जानकारी प्राप्त होने पर मैने नियमानुसार प्रकरण पेश कर दिये। इस प्रकार मैने कोई भेद–भावपूर्ण कार्यवाही नही की है। अपीलाण्ट द्वारा यह भी निवेदन किया कि जिला कलेक्टर बाडमेर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट के जवाब का इंतजार नही किया गया और न ही उसे जवाब प्रस्तुत करने का एक ओर अवसर अथवा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। अतः उक्त अनुशासनिक जांच कार्यवाही के दौरान अपीलाण्ट की सुनवाई के बिना एक पक्षीय पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

6. प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय पैराकार अनुपस्थित रहने के कारण हमने उक्त अपील प्रकरण में जिला कलेक्टर बाडमेर के पत्रांकःप.14( )भू.अ./विजा/2022/1368 दिनांक 10.03.2022 द्वारा प्रेषित टिप्पणी व उसके संलग्न मूल पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया कि विद्वान जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा आरोपी–अपीलाण्ट के विरूद्ध विरचित आरोप एवं आरोप विवरण पत्र सुस्पष्ट है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त उल्लेखित ज्ञापन व आरोप पत्र तामिल दिनांक 07.10.2020 के उपरांत, प्रकरण में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2020 तक अर्थात लगभग डेढ माह से अधिक समय तक कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया और ना ही जवाब प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय चाहा गया, जबकि उक्त ज्ञापन में, प्राप्ति दिवस से 15 दिवस तक की अवधि में ही बचाव पक्ष की तैयारी व लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट के पास अपने बचाव में कोई ठोस तथ्य उपलब्ध नही थे, यदि ऐसे कोई ठोस तथ्य उपलब्ध होते तो वे अपने जवाब में तथा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील की सुनवाई के दौरान अवश्य प्रकट करते। अतः विद्वान जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि अनुकूल होने से, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित प्रतीत नही है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलान्ट सारहीन होने से तदनुसार खारीज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2020 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17 अगस्त, 2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

17/8/22

(कैलाश चन्द मीना)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर